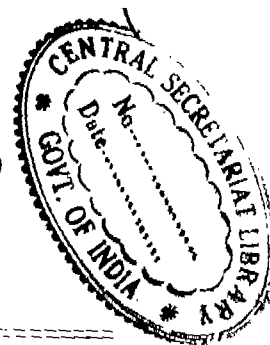


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 168] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1979/चैत्र 28, 1901
No. 168] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1979/CHAITRA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 212(अ)/संख्या ई(सी)ओ. 1977/एस (108) :—आगत-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में धारित संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 23वां संशोधन आदेश की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में कूटे सामान्य लार्डसेंस-3 में कम संख्या 78 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

1	2	3	4
79.	खान्डसारी चीनी	ख-3.3-क	सभी स्वीकृत गन्तव्य स्थान के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

[मिसिल संख्या 28/4/79-ई-1]
का० वे० शेवाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 18th April, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.212(E)/No. E(C)O, 1977/AM(108):—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-third Amendment Order, 1979.
2. In the Export (Control) Order, 1977, in OGL. 3, the following shall be added after S. No. 78 :—

1	2	3	4
79.	Khandsari Sugar	B.33A	Export will be allowed to all permissible destinations.

[F. No. 28/4/79-EI]
K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports